झाँसी नगर निगम,झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

निविदा सूचना

झाँसी नगर निगम,झाँसी के पंजीकृत ठेकेदारों एवं गैर पंजीकृत ठेकेदार जो किसी भी उ0प्र0 सरकार लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0, विकास प्राधिकरण में प्रथम श्रेणी में पंजीकृत हो, से 03 पुनःनिविदा कार्य हेतु ई–टेण्डरिंग की बेवसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्युल के अनुसार आंमत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि केवल राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में देय होगी जिसे नगर आयुक्त, नगर निगम,झाँसी के नाम बंधक कराना अनिवार्य होगा :–

क्र0सं0	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1.	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदने की तिथि	07.11.2017 12.00 PM	13.11.2017 12:00 PM
2.	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	07.11.2017 01.00 PM	13.11.2017 1:00 PM
3.	बिड खोलने की तिथि एवं समय	13.11.2017 2.30 PM	

नोट–

1. निविदादाता को यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड,लखनऊ में ई–टेण्डर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. कार्य की निविदाएं टू बिड सिस्टम के आधार पर होगें।
3. टेक्नीकल बिड के साथ नगर निगम/अन्य शासकीय विभाग में सम्बन्धित श्रेणी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (Legal Status of contractor) संलग्न करना होगा।
4. टेक्नीकल बिड के साथ व्यापार–कर, आयकर, सेवा–कर, श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. टेक्नीकल बिड के साथ तीन वर्षों के औसतम क्रम सं0 1 में रू0 4.50 करोड़, क्रम सं0 2 में रू0 रू0 2.25 करोड़ एवं क्रम सं0 3 में रू0 रू0 1.25 करोड़ का टर्नओवर एवं पिछले तीन वित्तीय वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट देना होगी।
6. टेक्नीकल बिड के साथ ठेकेदार/फर्म के द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में सूचना एवं भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) (प्रारूप –1.3ए) संलग्न करना होगा।
7. टेक्नीकल बिड के साथ ठेकेदार/फर्म के द्वारा यदि किसी अन्य कार्य हेतु निविदा डाली गयी हो तो उस स्थिति में संलग्न प्रारूप 1.3 बी में विवरण संलग्न करना होगा।
8. टेक्नीकल बिड के साथ आवश्यक मशीनों की उपलब्धता से सम्बन्धित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
9. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा। (सिविल कार्य/विद्युत/मनोरंजन/खेलकूद से सम्बन्धी उपकरण/ग्रीनरी)
10. टेक्नीकल बिड के साथ बैंक से क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमाण–पत्र मूल प्रति में संलग्न करना होगा।
11. शासनादेश सं0 622/33–12–2012–2आडिट/08 दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार बिलो अथवा निम्न निविदा आने पर नियमानुसार परफोरमेन्स गारण्टी अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम,झाँसी के पक्ष में जमा करनी होगी)
12. ठेकेदार/फर्म का किसी कार्य हेतु कोई आरबीट्रेशन अथवा अन्य विवाद चल रहा है यदि हां तो प्रारूप 1.10 में सूचना सलंग्न करना होगा।
13. ठेकेदार/फर्म को ISO-9001-2000 या समकक्ष प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. टेक्नीकल बिड के साथ निर्माण कार्य सम्पादित किये जाने हेतु प्रोग्राम (बार चार्ट) संलग्न करना होगा।
15. टेक्नीकल बिड के साथ आयकर विभाग से अदेयता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
16. टेक्नीकल बिड के साथ नगर निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के निकट रक्त सम्बन्धी के फर्म में कार्यरत् न होने सम्बन्धी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
17. टेक्नीकल बिड के साथ निविदा कार्य की गुणवत्ता हेतु प्रयोगशाला स्थापित किये जाने/मान्यता प्राप्त संस्थान से गुणवत्ता की जांच कराने से सम्बन्धित सहमति/प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
18. टेक्नीकल बिड के साथ ठेकेदार को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह किसी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।
19. टेक्नीकल बिड के साथ समस्त सूचना सही होने सम्बन्धी शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
20. उपरोक्तानुसार तकनीकी बिड में अर्हता पूर्ण करने वाली फर्मों का ही फाइनेनिशयल बिड खोली जायेगी।
21. टेक्नीकल बिड के साथ नगर निगम झांसी/सम्बन्धित विभाग में उक्त फर्म के नाम कोई भी कार्य लम्बे समय से लम्बित/अनारम्भ होने का प्रमाण–पत्र (मा0 न्यायालय विवाद के कार्यों को छोड़कर) संलग्न करना होगा।
22. उपरोक्त नगर निगम झाँसी में गठित समिति की अनुशंसा पर किसी भी शर्तों में आंशिक अथवा पूर्णतया परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
23. कार्यों की समय–समय पर जांच प्रतिष्ठित प्रयोगशाला से करायी जायेगी।
24. एक तिहाई लागत एवं समान प्रकृति (पार्को के निर्माण एवं रख–रखाव) का एक कार्य किसी भी विभाग में संतोषजनक पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र (जो अधिशासी अभियन्ता के स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए) संलग्न करना अनिवार्य है।

25. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
26. अन्य विभाग के प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार को कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् वर्क आर्डर से पूर्व नगर निगम, झाँसी में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
27. Security Money (10%) पांच वर्षों तक बन्धक रहेगी, तथा प्रत्येक वर्ष पांच बराबर किस्तों में नियमानुसार निर्गत की जावेगी। इसलिये कुल जमानत राशि को 05 बराबर भागों में बाटकर एक मुश्त वांछित कुल धनराशि को जमा करना होगा।
28. Actual Cost का भुगतान अमृत योजना के मद से किया जायेगा एवं O & M (संचालन एवं अनुरक्षण) का व्यय नगर निगम निधि से किया जावेगा।
29. O & M (संचालन एवं अनुरक्षण) में व्यय हेतु प्रत्येक वर्ष का प्रारूप टेण्डर फार्म के साथ संलग्न है।
30. टेण्डर फार्म शासन द्वारा अमृत योजना में प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में ही भरना आवश्यक होगा।
31. जी०एस०टी० के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
32. कार्यों की सूची नगर निगम की बेवसाइट www.jnnjhansi.com पर देखी जा सकती है।
33. निविदाओं में उल्लिखित प्रतिभूति राशि की मूल प्रति नगर निगम में निविदा पेटी में सीलबन्द लिफाफे में अन्तिम तिथि एवं समय तक डालना होगा तथा स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना होगा, उक्त की उपस्थिति में निविदा अवैद्य मानी जायेगी।
34. निविदाओं में उल्लिखित निविदा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में नगर निगम में निविदा पेटी में सीलबन्द लिफाफे में अन्तिम तिथि एवं समय तक डालना होगा तथा स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना होगा, उक्त की उपस्थिति में निविदा अवैद्य मानी जायेगी।
35. निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
36. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होना एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
37. कार्यों की समय–समय पर जांच प्रतिष्ठित प्रयोगशाला से करायी जायेगी।

(प्रताप सिंह भदौरिया)
नगर आयुक्त

पत्रांक :– 16 /जनकार्य वि०/न०नि०/2017–18 (Cond) दिनांक :– 17.10.17

प्रतिलिपि :– (1) विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक जागरण/Time of India (Edition) दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 10 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।

(2) निविदा समिति, नगर निगम,झाँसी को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) नाजिर/प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम,झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
(5) पी०ए० नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने एवं बेवसाइट में डाले जाने हेतु।

(प्रताप सिंह भदौरिया)
नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम,झाँसी।

17-10-17